

रक्त सम्बंधियों के बीच विवाह से उत्पन्न बच्चों की सेहत को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं - समाज में भी और वैज्ञानिक जगत में भी। सवाल यह है कि इस बाबत वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं।

# विवाह सम्बंध : दूर-दूर या पास-पास

डॉ. डी. बालसुब्रमण्यन



## भी रत्नीय

उपमहाद्वीप की शादियों के कई विशेष गुण हैं। एक अनूठा गुण अखबारों में छपने वाले वैवाहिक विज्ञापन हैं। किसी और देश में, किसी और समाज में अखबारों में ऐसे विज्ञापन नहीं छपते। हां, न्यू यॉर्क टाइम्स या वॉर्सिंगटन पोस्ट में प्रेम साथी या सहवास साथी की तलाश में विज्ञापन छपते हैं, मगर शादी के लिए इस तरह के विज्ञापन देखने को नहीं मिलते - "कॉन्वेन्ट शिक्षित सुन्दर, रंग गेहुंआ, 22/150/48, बी.कॉम., भारद्वाज, मंगली कन्या के लिए सजातीय वर चाहिए।" इंडिया एब्रॉड में छपे वैवाहिक विज्ञापन या वैवाहिक वेबसाइट तो देश की विवाह परम्परा का ही एन.आर.आई. संस्करण है। यदि किसी विदेशी को भारतीय विवाह परम्परा का कोई ज्ञान न हो, तो इन विज्ञापनों को देखकर वह निष्कर्ष निकालेगा कि भारत में शादियां आसमान में नहीं अखबारों में तय होती हैं।

बहरहाल, देश के अधिकांश भागों में ज्यादातर शादियां ऐसे विज्ञापनों की मदद से तय नहीं होती। ये विज्ञापन तो अभी हाल के आविष्कार हैं, अधिक से अधिक 50 साल हुए होंगे। इनका उपयोग तो विकल्पों की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। आम तौर पर इनका इस्तेमाल तभी किया जाता है जब गोत्र या समुदाय में शादी तय करने के परम्परागत तरीके काम न आएं।

आज भी भारत (और पाकिस्तान व श्रीलंका) के कई समुदायों में शादी के मामले में पहली प्राथमिकता परिवार के अंदर के लोगों को ही दी जाती है। आज भी समुदाय के ही अंदर

या रक्त सम्बंधियों के बीच विवाह सम्बंध ज्यादा प्रचलित हैं, और ऐसा सदियों से रहा है। अधिकांश भारत, और खासकर दक्षिण भारत में, कई सदियों से समुदायों के अंदर ही शादियों का रिवाज रहा है। कुछ समुदायों में मामा-भान्जी या मामा-बुआ के बच्चों की शादी को प्राथमिकता दी जाती है। तमिल में पल्ली अपने पति को 'अथन' यानी 'बुआ का बेटा' ही कहती है। और सास के लिए 'मामीयार' शब्द का उपयोग किया जाता है जिसका अर्थ मामी है। एक ताज़ा अध्ययन में जिन एक लाख बच्चों के आंकड़े इकट्ठे किए गए उनमें से 34 प्रतिशत रक्त सम्बंधी माता पिता से पैदा हुए थे। इनमें से 18 प्रतिशत मामा-भान्जी की शादी से उत्पन्न बच्चे थे। 25 वर्ष पूर्व पॅण्डिचेरी में रक्त सम्बंधियों की शादियां कुल शादियों में से 55 प्रतिशत पाई गई थीं।

रक्त सम्बंधी शादी का अर्थ है जैविक रूप से निकट सम्बंधियों की शादी। दक्षिण भारत में यह काफी प्रचलित है मगर यह सिर्फ दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है। इसका चलन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में भी है। उत्तरी अफ्रीका में 20-25 फीसदी शादियां रक्त सम्बंधियों के बीच होती हैं। चीन, लातिन अमरीका और कुछ अन्य देशों में तथा

उत्तर भारत में 1-10 प्रतिशत विवाह इस तरह के होते हैं।

यानी रक्त सम्बंधियों के बीच विवाह क्षेत्र-निरपेक्ष,

रंग-निरपेक्ष, धर्म-निरपेक्ष हैं। कुछ ईसाई पंथों में इसका निषेध है। मगर जुड़ाइज्म और इस्लाम प्रथम कज़िन की शादी की अनुमति देते हैं मगर सिख पंथ (जो आर्य परम्परा को मानता है) इस तरह के विवाह को हिकारत से देखता है।

उत्तर भारत के हिन्दुओं में पुरुष की ओर की सात पीढ़ियों व स्त्री की ओर की चार पीढ़ियों तक के सम्बंधियों की शादी को स्वीकृति नहीं है। मगर दक्षिण भारतीय हिन्दू परम्परा में रक्त सम्बंधियों के बीच विवाह स्वीकृत है।

बहरहाल, रक्त सम्बंधियों के बीच विवाह से उत्पन्न बच्चों की सेहत को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं - समाज में भी और वैज्ञानिक जगत में भी।

इस पृष्ठभूमि में वैवाहिक विज्ञापनों की उत्पत्ति व लोकप्रियता पर विचार करना लाज़मी है। आखिर जब परिवार या समुदाय में ही वर या वधू उपलब्ध हैं तो क्यों विज्ञापन करें? जाल को दूर तक क्यों फैलाएं? हो सकता है कि ये विज्ञापन निकट सम्बंधियों के बीच होने वाले विवाहों के जिनेटिक परिणामों के प्रति चिन्ता को अभिव्यक्त करते हों। दरअसल यू.एस. के कई प्रान्तों में कानून इस तरह के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 1955 का हिन्दू विवाह अधिनियम भी इसका निषेध करता है मगर 'जहां रिवाज़ इसकी अनुमति दे' के रूप में एक रास्ता छोड़ दिया गया है। सवाल यह है कि इस बाबत वैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में एडिथ कोवन विश्वविद्यालय के डॉ. एलन बिट्ल्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंस बैंगलोर के डॉ. एन. अपाजी राव इस क्षेत्र के दो प्रमुख विशेषज्ञ हैं। इन दोनों ने मिलकर पिछले 25 वर्षों में निकट सम्बंधियों के विवाह के जीव विज्ञान का गहन अध्ययन किया है। उन्होंने इस विषय पर अन्य वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक समीक्षा

पर्चा ह्यूमैन इनब्रीडिंग : ए फेमिलियर स्टोरी फुल ऑफ सरप्राइज़ेस यानी 'मानव अन्तःजनन - अचरजों से भरी परिचित कथा' भी लिखा है। इस पर्चे में विषय का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत हुआ है। इसके अलावा बिट्ल्स ने इस विषय पर एक सारगर्भित पर्चा वेबसाइट [www.consang.net](http://www.consang.net) पर भी रखा है।

पाश्चात्य समाजों में यह प्रबल विश्वास है कि निकट सम्बंधियों के बीच विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं वे शारीरिक व मानसिक दिक्कतों से ग्रस्त रहते हैं। इसके पीछे मान्यता यह है कि अन्तःजनन के कारण क्षतिग्रस्त या हानिकारक जीन संग्रहित होते हैं। आम तौर पर ये जीन दब्बू या रेसेसिव होते हैं, इसलिए अभिव्यक्त नहीं हो पाते हैं। मगर यदि एक ही गुण के दोनों दब्बू जीन एक साथ आ जाएं तो ये अभिव्यक्त होते हैं।

अलबत्ता उपरोक्त समीक्षा पर्चे को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इस मान्यता को तथ्यों का समर्थन प्राप्त नहीं है। दरअसल समीक्षा पर्चे के मुताबिक तो इस मान्यता की पुष्टि करने वाले तथ्य सुनाई बातों पर आधारित हैं।

1966 में डॉ. एल.डी. संघवी ने तो ठीक इसके विपरीत बात कही थी। यूजेनिक्स क्वार्टरली में प्रकाशित अपने समीक्षा पर्चे में उन्होंने दलील दी थी कि जिन समुदायों में पीढ़ियों से अन्तःजनन चला आ रहा है उनमें दरअसल नुकसानदायक जीन्स का सफाया हो जाता है।

तो सही क्या है - क्या निकट सम्बंधियों के बीच विवाह और अन्तःजनन की वजह से स्वास्थ्य की जिनेटिक समस्याएं पैदा होती हैं या इसकी बदौलत हानिकारक जीन्स का सफाया हो जाता है? बिट्ल्स, राव तथा उनके सहयोगियों ने स्पष्ट किया है कि पूरी स्थिति काफी जटिल है क्योंकि जिन समुदायों में निकट सम्बंधियों में विवाह होते हैं वे समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से भी उतनी अच्छी हालत में नहीं थे। तो यह कहना मुश्किल है कि उनके बच्चों में स्वास्थ्य की जो समस्याएं नज़र आती हैं वे जीन्स के कारण हैं या कुपोषण, साफ-सफाई के अभाव वगैरह के कारण।

दूसरे शब्दों में प्रकृति महत्वपूर्ण है या परवरिश? मां की निरक्षरता, कम उम्र में गर्भावस्था, जल्दी-जल्दी बच्चे पैदा

होना, पोषण का अभाव और रोग संक्रमण वगैरह का गम्भीर असर बच्चों की सेहत पर पड़ता है। इन्हें तो आप जिनेटिक समस्याएं नहीं मान सकते।

लिहाजा प्रकृति जन्य कारकों और परवरिश जन्य कारकों को अलग-अलग देखने के उद्देश्य से बिटल्स ने कुछ पाकिस्तानी सहकर्मियों के साथ मिलकर पाकिस्तान जनसांख्यिक व स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा इकट्ठे किए गए 1990-91 के आंकड़ों का विश्लेषण किया। विश्लेषण से स्पष्ट हुआ था कि बच्चों की सेहत, मृत्यु दर व गैरह पर गैर-जिनेटिक कारकों का काफी असर होता है। मगर बिटल्स का निष्कर्ष था कि निकट सम्बंधियों के बीच विवाह का भी बच्चों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। अर्थात् पाकिस्तानी समूह के अध्ययन से पता चलता है कि पुरा मामला प्रकृति और परवरिश का मिला-जुला असर है।

भारत में इस तरह के अध्ययन हुए हैं। उनका क्या निष्कर्ष है? जे. जॉन और पी. जायबल तथा पी.एस.एस. राव और एस.सी.टी. इन्चराज द्वारा किए गए अध्ययनों ने संघी के मत का समर्थन किया है कि निकट सम्बंधियों के बीच वैवाहिक सम्बंधों से उस समुदाय में से हानिकारक जीन खत्म हुए हैं। बाद में डॉ. राधा राम देवी, अप्पाजी राव, सावित्री, वेंकट राव और बिटल्स द्वारा कर्नाटक के एक लाख से ज्यादा बच्चों के अध्ययन में कई जिनेटिक सम्बंधियों

के विवाह से जन्मे बच्चों में अमीनों  
अम्लों की कमी पाई। दूसरी ओर  
यहां जीन पूल का आकार  
अपेक्षाकृत विशाल है और इनमें  
से कई असर तो नज़र भी नहीं  
आते। ऐसे कुछ समुदाय (जैसे  
जिप्सी, पारसी, अश्केनेज़िम) तो काफी छोटे हैं और इनका  
जीन पूल भी छोटा है। इनमें अन्तःजनन के असर सकारात्मक  
व नकारात्मक दोनों तरह के देखे गए हैं। यहां जिनेटिक  
असर काफी उभरकर सामने आते हैं। दूसरी ओर दक्षिण  
भारतीय या मध्य पूर्व के अरब लोगों की आबादी काफी बड़ी  
है। मसलन अप्पाजी राव बताते हैं कि अमीनों अम्लों का  
जैसा अभाव कर्नाटक में देखा गया लगभग वैसा ही पश्चिमी  
देशों में भी दिखाई पड़ता है जबकि वहां निकट सम्बंधियों  
के विवाह नहीं होते।



यह सब कहने का मतलब इस तरह के विवाहों का समर्थन या विरोध करना नहीं है। इस सम्बंध में और अध्ययन की ज़रूरत है। आजकल सामुदायिक जिनेटिक्स एक प्रमुख धारणा बन गई है और हमारा देश भी इसमें पीछे नहीं है। यह सही है कि इस पूरे मुद्दे पर जिनेटिक दृष्टि से विचार करना लाभप्रद होगा मगर तब तक वैवाहिक विज्ञापनों को तो फलने-फूलने दीजिए। (स्रोत फीचर्स)

अगले अंक में

स्रोत फरवरी 2003

अंक 169



शरलॉक होम्स  
रॉयल सोसायटी  
के मानद सदस्य

- रसायन शास्त्र : परिचय की तलाश में
  - यदि कोई हमारा चांद चुरा ले, तो?
  - निशानेबाज़ मछली
  - गुर्दौं का गंदा धंधा
  - कितनी ठंड झेल सकते हैं जीवाणु?